झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :— रा0खा0आ0 (शि0) लोहरदगा / PDS —05 / 2023 — 382

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः— 24.4.2024

विषयः— लोहरदगा जिला के सदर प्रखण्ड के जन वितरण प्रणाली दुकानों के संचालन में अनियमितता के आरोप से संबंधित परिवाद पत्र पर कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि परिवादी श्री जियाउल हक, चटवल, चान्हों, जिला—राँची का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवादी द्वारा लोहरदगा अन्तर्गत सदर प्रखण्ड के कुल—16 PDS दुकानों के संचालन में अनिमितता का आरोप लगाते हुए कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि परिवादी द्वारा पूर्व में अपने आवेदन दिनांक—09.10.2023 द्वारा भी इससे संबंधित परिवाद पत्र समर्पित किया गया था जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक—848 दिनांक—17.10.2023 द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा को आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया था। उक्त मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना आयोग अप्राप्त है।

अतः प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन

24/4/24

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\Vinod Sir.docx748

पता—झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची—834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

8.4.24
पृष्ठ
(45)

सेवा में ,

उपायुक्त महोदय लोहरदगा !

अनुमण्डल पदाधिकारी लोहरदगा !

जिला आपूर्ति अधिकारी लोहरदगा !

विषय- अंतिम स्मार मेरे आवेदन दिनांक-01.08.2023 - 01.06.2023- देने के बावजूद आजतक कोई करावाई नहीं किये जाने के सम्बंध में !

महाशय,

सविनय पूर्वक कहना है की मैंने आपको शिकायत आवेदन दिनांक-01.06.2023 को 3 (तिन) आवेदन दिया है तथा 01.08.2023 को अंतिम स्मार भी किया है की लोहरदगा जिला के सदर प्रखण्ड अंतर्गत सरकारी खध्यान वितरण में घोर गडबडी,अनियमितता, चोरी व सरकारी अनाज का लुट-खसोट कर बंदरबाट घपला किया जा रहा है जिस पर उचित करावाई हेतु आवेदन किया जा चुका है !

शिकायत सं-1- यह की सरना स्वय सहायता समूह अनुज्ञापित सं 2009/11 -0का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा है !ईस समूह का अधयक्ष के पति **मेसो उराँव** के *द्वारा* संचालन किया जा रहा है !

शिकायत सं-2- यह की रामवृत्त भगत अनुज्ञापित संका दूकान सूचार 1989/05-0ु रूप से संचालन नहीं हो रहा है दुकानदार लोहरदगा सहर के नजदीक ग्राम जुरिया में रहता है राशन वितरण करने के दिन अपना दूकान खोलता है !

शिकायत सं-3- यह की बिना महिला मंडल अनुज्ञापित सं के सचिव सरिता देवी के पति 2012/01 -0**भरत साव** के *द्वारा* संचालन किया जाता है दूकान ग्राम मुन्दो में संचालन नहीं कर इरगावं रोड में अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है !

शिकायत सं-4- यह की मुक्ति स्वय सहायता समूह अनुज्ञापित सं08 -0/2009 के अध्यक्ष आंगनबाड़ी शेविका हैं इस सरकारी दूकान को इनके पति **नरेश उराँव** के *द्वारा* संचालन किया जता है !

शिकायत सं-5- यह की रोशन महिला मंडल अनुज्ञापित संका अध्यक्ष सुमित्रा देवी इनकी 2013/02-0 कर्मी हैं ये अपने बच्चों संग रांची में रहती है ये अध्यक्ष CCL विवाहित पुत्री कोषाध्यक्ष सचिव के पति उक्त दूकान का संचालन अध्यक्ष सुमित्रा देवी के पुत्र ! सुमित्रा देवी के रिश्तेदार हैं**प्रकाश राम** के *द्वारा* संचाल किया जा रहा है!

शिकायत सं-6- यह की अददी महिला सवयं समिति अनुज्ञापित संकी अध्यक्ष राजमुनी उरावं हैं 2009/22-0 जो आंगनबाड़ी शेविका हैं उक्त दूकान का संचालन अध्यक्ष का भतीजा**अनिल उराँव** और सचिव मंगरी उराइन के *द्वारा* किया जाता है !

08.04.2024

शिकायत सं-7- यह की जयधरम महिला मंडल अनुज्ञापित सं का संचालन अकेले समूह अध्यक्ष 2018/02-0 **मनीषा उराँव** के *द्वारा* किया जाता है

शिकायत सं-8- यह की कल्याणी महिला मंडल अनुज्ञापित सं का संचालन मंडल के 2009/14-0**अध्यक्ष सचिव** *द्वारा* संचालन किया जाता है !

शिकायत सं-9- यह की सरना स्वय सहायता समूह अनुज्ञापित सं का संचालन समूह के 2009/13-0**पांच सदस्यों** के *द्वारा* किया जा रहा है

शिकायत सं-10- यह की जनवितरण दुकानदार शेख नसीम अनुज्ञापित सं0-01/98 खुद सरकारी राशन दुकानदार होकर भी अपनी पत्नी समीना खातून के नाम से P.H कार्ड सं0-202004877176 से वर्षों से सरकारी खध्यान का उठाव करतें आ रहें है! जबकि उक्त दुकानदार के पास करोड़ों का सम्पति भी है इन्होने आय से अधिक सम्पति भी अर्जित कर रखा है इनका ट्रेक्टर भी चलता है तथा कला धन अर्जित कर लोहरदगा साइडिंग बीएस स्टेंड के पीछे अलिसान बहुमंजिला मकान बना रखा है !

शिकायत सं-11- यह की जनवितरण दुकानदार अंसार स्वय सहायता समूह अनुज्ञापित सं0-12/2009 खुद सरकारी राशन दुकानदार होकर भी समूह की सचिव अपने नाम-नाजमीन प्रवीन पति-मोईन उस्तर अंसारी P.H कार्ड सं0-202004925300 में 2 यूनिट है !

शिकायत सं-12- यह की जनवितरण दुकानदार अंसार स्वय सहायता समूह अनुज्ञापित सं0-12/2009 अंजुम आरा बेगम पिता/पति - अल्लाह बक्स अंसारी P.H कार्ड सं0-202005316555 में 2 यूनिय है !

शिकायत सं-13- यह की जनवितरण दुकानदार अंसार स्वय सहायता समूह अनुज्ञापित सं0-12/2009 आरिफ अंसारी पिता - अल्लाह बक्स अंसारी P.H कार्ड सं0-202007476952 में 2 यूनिट है 1

शिकायत सं-14- यह की जनवितरण दुकानदार अंसार स्वय सहायता समूह अनुज्ञापित सं0-12/2009 जन्हा आरा बेगम पिता/पति - अल्लाह बक्स अंसारी P.H कार्ड सं0-202005805762 में 3 यूनिट है !

शिकायत सं-15- यह की जनवितरण दुकानदार अंसार स्वय सहायता समूह अनुज्ञापित सं0-12/2009 नाजिया ईनाम पति किताबुल अंसारी P.H कार्ड सं0-202007529756 में 1 यूनिट

शिकायत सं-16- यह की किसको प्रखण्ड के बालाटोली के जनवितरण दुकानदार नबिउल हसन अनुज्ञापित सं-024/1985 का दूकान सूचारु रूप से संचालन नहीं हो रहा है यह दुकानदार खध्यान वितरण के दिन दूकान खोलतें हैं बाकी दिन दूकान बंद कर लोहरदगा में दिन भर नेतागिरी करतें हैं !

यह की जनवितरण दुकानदार नबिउल हसन अनुज्ञापित सं-024/1985 सुखी सम्पन परिवार होने के बावजूद भी सरकारी खध्यान का अहर्ता रखतें हैं इनके पास भी 3 राशन कार्ड है जो इनकी पत्नी और दो पुत्रों के नाम से है ! इनसे रिकोभ्री लिया जाय

शिकायत सं-17- यह की उक्त सभी सरकारी राशन दुकानदारों का अनुज्ञापित रद्द करने का मांग किया जा चुका है जिस पर आपके *द्वारा* आज तक संज्ञान नहीं लिया गया है !

शिकायत सं-18- यह की उक्त सभी सरकारी राशन दुकानदारों *द्वारा* घोर घपला,चोरी का शिकायत पर आजतक आप करावाई करने में अक्षम रहें हैं !

शिकायत सं-19- यह की उक्त सभी सरकारी राशन दुकानदारों ने अवैध सम्पति अर्जित कर रखा है जिस पर आजतक किसी प्रकार की कोई जांच नहीं किया गया है !

यह की आपके *द्वारा* मेरे शिकायत आवेदन अनुरूप करावाई नहीं कराया गया है आपने मेरे शिकायत आवेदन पर सद्भावना पूर्वक करावाई आज दिनांक- 06.04.2024 तक (260) दिन बित जाने के बाद भी करावाई नहीं किया और नाही विधि के तहत विधि का पालन किया है और नाही अपने दाइत्वों का निर्वाह किया है जिससे साफ़ प्रतीत होता है की सरकारी खध्यान चोरी करने वाले जनवितरण दुकानदार को बचाने की नियत से सुचना छुपा रहें हैं तभी तो आजतक आप करावाई करने/कराने में अक्षम रहें हैं !

यह की मेरे *द्वारा* साक्षय के साथ शिकायत करने के बावजूद भी आप सरकारी नियम कानून को ताक में रख कर सरकारी अनाज का उठाव करने वाले करोड़पति जनवितरण प्रणाली संचालन करने वाले को बढ़ावा देकर उनका मनोबल बढाने का अपराध कर रहें हैं ताके और भी आगे जनवितरण प्रणाली संचालन करने वालों *द्वारा* लुट खसोट , आय से अधिक सम्पति होने के बावजूद भी सरकारी खाध्यान का उठाव कर सके ! मेरे पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर उचित कानूनी करावाई, रिकोभरी करना सुनश्चित करें अन्यथा मैं आपके विरुद्ध झारखण्ड उच्च न्यालय में R.I.T याचिका दायर करूंगा !

अतः आप सभी वरीय अधिकारियों से निवेदन है की लोहरदगा सदर प्रखण्ड के उक्त नाम दर्ज सभी जनवितरण दुकानदारों के उपर कानूनी करावाई/रिकोभरी मेरे पत्र प्राप्ति के 07 दिनों के भीतर करना सुनिश्चित करें अन्यथा मैं बाध्य होकर आगे की करावाई हेतु झारखण्ड उच्च नयालय के शरण में जाउंगा जिससे मुझे होने वाली क्षति के जिमेवार आप हुंगें !

प्रतिलिपि - माननीय मुख्य सचिव झारखण्ड सरकार प्रोजेक्ट भवन H.E.C धुर्वा रांची !

प्रतिलिपि - माननीय खाध्य आपूर्ति सचिव झारखण्ड सरकार प्रोजेक्ट भवन H.E.C धुर्वा रांची !

प्रतिलिपि - माननीय अध्यक्ष महोदय झारखण्ड राज्य खाध्य आयोग झारखण्ड सरकार रांची !

आवेदनकर्ता का नाम पता- जियाउल हक- चटवल,चान्हो,रांची,झारखण्ड835214- सं0- 9110099536

हस्ताक्षर- Zhaque

दिनांक- 06.04 .2024